

# कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

इन्दौर दिनांक 05/12/2020

## आवश्यक सूचना

महाविद्यालय के सत्र 2020-21 के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के स्पष्ट निर्देशानुसार सभी विद्यार्थियों को ऑनलाईन कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य है। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाईन कक्षाओं में अपनी उपस्थिति नहीं देते हैं तो उनके सभी प्रकार के स्कालरशिप, परीक्षा फार्म आदि सत्यापित नहीं किये जायेंगे। आपकी उपस्थिति की समस्त जानकारी उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.शासन की निगरानी है और शासन के पास एकत्रित हो रही है, उसी के आधार पर आपकी प्रकार के स्कालरशिप, परीक्षा फार्म आदि सत्यापित किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी उनको शासन की योजनाओं कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और न ही परीक्षा की पात्रता रहेगी इसके लिये संबंधित विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।



(डॉ. इनामुरहमान)

प्राचार्य

शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर